प्रेस नोट जनपद संतकबीरनगर दिनांक 08.09.2024

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 06 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को 03 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** मु0अ0सं0 346/2024 धारा 65(2)/351(2)/352 भा0न्या0सं0 व 5(ड़)/6 पाक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता मो0 नजीर उर्फ झिन्ना पुत्र शाह मोहम्मद उम्र 48 वर्ष निवासी कथकपुरवा(दरियाबाद) थाना दुधारा जनपद सन्त कबीर नगर को 03 घण्टे के भीतर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त के द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा दिनांक 07.09.2024 को थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना दुधारा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर आज दिनांक 08.09.2024 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री जयप्रकाश दूबे, उ0नि0 श्री संजय यादव, हे0का0 उमेश यादव, हे0का0 हरिनारायण प्रसाद, हे0का0 प्रमोद कुमार सिंह, का0 श्री प्रकाश यादव।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 08.09.2024

थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री केशवनाथ*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा मु0अ0सं0 278/2024 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राहुल पुत्र राधेश्याम साकिन बड़हरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ढोढ़या नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि दिनांक 07.09.2024 को वादी राम सुभग पुत्र चिंनकाई निवासी केसौली थाना कोल्हई जिला महाराजगंज द्वारा थाना बखिरा पर तहरीर दिया गया कि दिनांक 10.7.2024 को राहुल पुत्र राधेश्याम ग्राम बडहरा थाना बखिरा संत कबीर नगर के साथ उन्होने लड़की निशा उम्र करीब 24 वर्ष की शादी रीति रिवाज से किया था किंतु पति एवं ससुर सास और देवर द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसको आए दिन प्रताड़ित करते थे तथा दहेज की मांग को लेकर उसको जान से मार दिया गया है। आज दिनांक 08.09.2024 को थाना बखिरा पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- थानाध्यक्ष बखिरा श्री श्याम मोहन, हे0कां0 एहतेशाम, कां0 शैलेन्द्र यादव।

प्रेस नोट   दिनांक 08.09.2024   जनपद- सन्तकबीरनगर

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत चलाये जा रहे "साथ-साथ कार्यक्रम" के तहत परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना द्वारा 02 परिवारों के मध्य कराया गया सुलह समझौता

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में चलाये जा रहे *'**साथ-साथ' कार्यक्रम (टूटते परिवार को जोडने की एक पहल)*** के तहत आज दिनांक 08.09.2024 को परिवार परामर्श केन्द्र महिला थाना जनपद संतकबीरनगर पर प्रभारी निरीक्षक *सुश्री सरोज शर्मा* एवं नियुक्त सदस्य *श्री रिफातुल्लाह अंसारी* की अध्यक्षता में 02 मामले आये । जिसमें सुलह समझौता करवाया गया।

1.प्रथम पक्ष – नीतू पुत्री श्री सरवजीत निवासी गौसपुर, थाना –कोतवाली खलीलाबाद ,जनपद –गोरखपुर व द्वितीय पक्ष – दीपक पुत्र रामसहाय निवासी चिकपिहानी, थाना -कोतवाली खलीलाबाद ,जनपद- संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था, दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

2.प्रथम पक्ष- मुकेश पुत्र गौरीशंकर निवासी ग्राम- पड़ोखर,थाना- कोतवाली खलीलाबाद जनपद- संतकबीरनगर व द्वितीय पक्ष- शर्मिला पुत्री पुत्री रामसरन निवासी ग्राम-गगनईराव,थाना-मेंहदावल,जनपद-संतकबीरनगर के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण इनका रिश्ता टूटने की कगार पर था दोनों पक्षों को काफी समझाने बुझाने के उपरान्त दोनों पक्ष एक साथ खुशी - खुशी रहने को तैयार है। दोनो पक्षों मे आपसी सहमति से सुलह समझौता कराया गया।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनाँक 08.09.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना महुली पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- *थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 92 वाहनों से 1,18,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.09.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 92 वाहनों से 1,18,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।